झारखण्ड विधान सभा

अल्प सूचित प्रश्नों की सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा
द्वितीय (बजट) सत्र
वर्ग–02

04 चैत्र,1937 (श0)
निम्नलिखित अल्पसूचित प्रश्न,मंगलवार, दिनांक----------को
24 मार्च, 2015 (ई0)
झारखण्ड विधान सभा के आदेश– पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्र0 सं0	विभागों को संसूचित की गयी सा0संख्या	सदस्य का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई
01	02	03	04	05	06
अ0प्र0184.	अ0सू0–54	श्री प्रकाश राम	नगियों का सर्व समायोजन करना	विज्ञान एवं प्रावैधिकी	19.03.2015
अ0प्र0185.	अ0सू0–29	श्री कुशवाहा शिवपूजन मेहता	आरा मिल का स्थानांतरण	वन एवं पर्यावरण	04.03.2015
186. अ0प्र0	अ0सू0–56	श्री शशिभूषण सामाड़	परीक्षा लेकर प्रशिक्षण दिलाना	मानव संसाधन विकास	19.03.2015
187 अ0प्र0	अ0सू0–59	श्री रामचन्द्र सहिस	मास्टर प्लान तैयार करना	वन एवं पर्यावरण	19.03.2015
अ0प्र0189.	अ0सू0–55	श्री योगेश्वर महतो	स्टेडियम निर्माण करना	कला संस्कृति खेल कूद एवं युवा कार्य	19.03.2015
अ0प्र0188.	अ0सू0–52	श्री नारायण दास	पेंशनादि योजना स्वीकृत करना	मानव संसाधन विकास	17.03.2015
अ0प्र0190.	अ0सू0–48	श्री बिरंची नारायण	पत्रकारिता संकाय में स्थायी नियुक्ति	मानव संसाधन विकास	16.03.2015
अ0प्र0191.	अ0सू0–38	श्रीमती गंगोत्री कुजूर	पोषकतत्व मध्याह्न भोजन की व्यवस्था	मानव संसाधन विकास	15.03.2015
192 अ0प्र0	अ0सू0–53	श्री नारायण दास	मानदेय का भुगतान	मानव संसाधन विकास	19.03.2015
अ0प्र0193.	अ0सू0–51	श्री मनीष जायसवाल	नियुक्ति पत्र देना	मानव संसाधन विकास	17.03.2015

क्र0पृ0उ0...

01	02	03	04	05	06
अ०सा० 194.	अ०सू०–46	श्री शिव शंकर उरांव	कुडूख भाषा के लिए पृथक विभाग	मानव संसाधन–विकास	16.03.2015
195. अ०सा०	अ०सू०–61	प्रो० स्टीफन मराण्डी	संकल्प का क्रियान्वयन करना	मानव संसाधन विकास	19.03.2015
अ०सा० 196.	अ०सू०–41	श्री आलमगीर आलम	वनों का कटाव रोकना	वन एवं पर्यावरण	15.03.2015
अ०सा० 197.	अ०सू० 58	श्री विकास कु० मुण्डा	शिक्षकों का मानदेय बराबर करना	मानव संसाधन विकास	19.03.2015
अ०सा० 198.	अ०सू०–47	श्रीमती सीता सोरेन	क्रशरों को बंद करना	खनन एवं भूतत्व	16.03.2015
अ०सा० 199.	अ०सू०–42	श्रीमती विमला प्रधान	अवैध खनन को रोकना	खनन एवं भूतत्व	15.03.2015
अ०सा० 200.	अ०सू०–50	डॉ० अनिल मुरमू	इंटर/डिग्री महाविद्यालय खोलने के संबंध में	मानव संसाधन विकास	16.03.2015
अ०सा० 201.	अ०सू०–45	डॉ० अनिल मुरमू	चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति	मानव संसाधन विकास	16.03.2015
202. अ०सा०	अ०सू०–60	श्री रामचन्द्र सहिस	टाटा स्टील पर कार्रवाई	वन एवं पर्यावरण	19.03.2015
अ०सा० 203.	अ०सू० 49	श्री मनीष जायसवाल	स्टेडियम को सरकारी कार्यालयों से मुक्त करना	कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य	16.03.2015
	204. अ०सू०–57	श्री बादल	मैट्रिक पास छात्रों को लैपटॉप देना	मानव संसाधन विकास	19.03.2015

रांची
दिनांक–24 मार्च,2015 (ई०)।

सुशील कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

कृ०पृ०उ०—

ज्ञाप संख्या–प्रश्न–04 / 2015–1582 / वि0स0,रांची,दिनांक 22/3/15

प्रतिलिपि :– झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय मंत्रीगण / माननीय संसदीय कार्य मंत्री / माननीय नेता प्रतिपक्ष, झारखण्ड विधान सभा / मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

22/3/15

(संजय कुमार)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,रांची।

ज्ञाप संख्या–प्रश्न–04 / 2015–1582 / वि0स0,रांची,दिनांक– 22/3/15

प्रतिलिपि :– माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय / अपर सचिव (प्रश्न) / संयुक्त सचिव (प्रश्न) झारखण्ड विधान सभा को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय / प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित

22/3/15

अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,रांची।

ज्ञाप संख्या–प्रश्न–04 / 2015–1582 / वि0स0,रांची,दिनांक–22/3/15

प्रतिलिपि :–कार्यवाही शाखा / आश्वासन समिति शाखा एवं वेबसाईट शाखा को सूचनार्थ प्रेषित :

22/3/15

अवर सचिव झारखण्ड विधान सभा,रांची।

बहादुर /

(184)

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा का द्वितीय (बजट) सत्र में दिनांक 24.03.2015 को श्री प्रकाश राम, स0वि0स0 द्वारा पूछा जाने वाला अल्प-सूचित प्रश्न सं0- अ0सू0-54 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग में विश्व बैंक सम्पोषित पोलटेकनिक शिक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना के अन्तर्गत वर्ष-1998 में शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मियों की नियुक्ति विहित प्रक्रियाओं को अपना कर अनुबंध पर की गई थी;	1. स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि ये कर्मी विगत 19 वर्षों से लगातार झारखण्ड में कार्य कर रहे है;	2. स्वीकारात्मक। झारखण्ड राज्य का गठन 15.11.2000 को हुआ है। इससे पूर्व संयुक्त बिहार राज्य के अन्तर्गत ये कर्मी वर्तमान झारखण्ड राज्य के विभिन्न पोलिटेकनिक संस्थानों में कार्यरत थे।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार इन कर्मियों के सेवा समायोजन का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	3. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा अधिसूचित अधि0स0-1348 दिनांक 13.02.2015 द्वारा झारखण्ड सरकार के अधीनस्थ अनियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों की सेवा नियमितिकरण नियमावली 2015 बनायी गयी है, उक्त नियमावली के आलोक में इन कर्मियों का सेवा समायोजन हेतु विभिन्न संस्थानों से प्रतिवेदन की मांग की गयी है। प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची

ज्ञापांक-2.वि0प्रा0/वि0स0- 23/15 — 705 / राँची, दिनांक- 21.03.2015

प्रतिलिपि :- माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 1467 दिनांक 19.03.2015 के आलोक में 200 प्रतियों के साथ झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(रविन्द्र कुमार सिंह)
सरकार के अवर सचिव

(185)

श्री कुशवाहा शिवपूजन मेहता, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 24.03.2015 को पूछे जाने वाले अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–28 का प्रश्नोत्तर

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि पलामू प्रमण्डल के पलामू जिलान्तर्गत हुसैनाबाद, हैदरनगर, पिपरा तथा हरिहरगंज प्रखण्ड में लकड़ी की चिराई हेतु आरा मिल नहीं है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि पलामू, गढ़वा तथा लातेहार जिला को मिलाकर वर्ष 1991 की जनसंख्या के आधार पर कुल 37 आरा मिल स्थापित करने हेतु लाईसेन्स देने का लक्ष्य वर्ष 2001 में निर्धारित किया गया था;	वर्ष 1991 की जनसंख्या के आधार पर तत्कालीन पलामू जिला (वर्तमान पलामू एवं लातेहार जिला) हेतु कुल 33 आरा मिल अनुज्ञान्य थे परन्तु वर्ष 2000 के जनसंख्या के आधार पर सरकार द्वारा इसे बढ़ा कर 37 कर दिया गया। गढ़वा जिला के लिए 18 आरा मिलें अनुज्ञान्य है।
3. क्या यह बात सही है कि खण्ड–2 में वर्णित निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध मात्र 18 आरा मिल ही कार्यरत है;	वास्तविकता यह है कि पलामू, लातेहार एवं गढ़वा जिले में क्रमशः 15, 4 एवं 4 आरा मिल कुल 23 आरा मिल कार्यरत है।
4. क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 तथा 3 में वर्णित आरा मिल को हैदरनगर तथा हुसैनाबाद में आरा मिल अन्य जगहों से स्थानांतरित करने हेतु आवेदन वन प्रमंडल पदाधिकारी डालटनगंज के पास लंबित है;	हैदरनगर एवं हुसैनाबाद में आरा मिल अन्य जगहों से स्थानांतरित करने हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए अनुमति प्राप्त करने का प्रस्ताव दिनांक–25.05.2005 को जिला स्तरीय समिति की बैठक में किये गये अनुशंसा के आलोक में केन्द्रीय प्राधिकार समिति, नई दिल्ली के समक्ष विचाराधीन है।
5.यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड-4 में वर्णित आरा मिल को हैदरनगर तथा हुसैनाबाद में स्थानांतरित करने का आदेश देना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उत्तर कण्डिका 4 में दिया गया है।

झारखण्ड सरकार
वन एवं पर्यावरण विभाग

ज्ञापांक–5/विधानसभा अल्पसूचित–18/2015– 1502 व०प०, राँची, दिनांक–20/3/2015

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखंड विधानसभा, रांची को उनके ज्ञाप सं0–782 दिनांक–04.03.2015 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय (संसदीय कार्य) विभाग, झारखंड, रांची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखंड सरकार/मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(सुनील कुमार) 20/3/15
सरकार के उप सचिव

श्री दास गुप्ता, विधायक द्वारा दिनांक-24.03.2015 को पूछा जाने
वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या-अ0सू0-56

क्र0	प्रश्न	उत्तर सामग्री
1.	क्या यह बात सही है कि कोल्हान विश्वविद्यालय अन्तर्गत सभी महाविद्यालय में सत्र 2012-15 में पढ़ने वाले एम0सी0ए0 के छात्रों को अर्द्धवार्षिक परीक्षा तीन वर्षों में अबतक दो (2) अर्द्धवार्षिक परीक्षा ही हुआ है?	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि परीक्षा विलम्ब से होने के कारण छात्रों को प्रशिक्षण एवं नियोजन में काफी समस्या होगी?	वस्तुस्थिति यह है कि विश्वविद्यालय द्वारा प्रश्नगत सत्र के लिए नामांकन फरवरी, 2013 में प्रारंभ किया गया था। इस कारण परीक्षा के ससमय संचालन में विलम्ब हुआ है। तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा के लिए फार्म भरा जा चुका है, जिसे अप्रैल के प्रथम सप्ताह में सम्पन्न कराया जाना है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार, एम0 सी0ए0 छात्रों की परीक्षा लेकर प्रशिक्षण दिलाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	स्ववित्तपोषी योजना अन्तर्गत इस पाठ्यक्रम का संचालन विश्वविद्यालय द्वारा किया जा रहा है। परीक्षा के आयोजन के लिए विश्वविद्यालय सक्षम है।

झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग।

ज्ञापांक 5/वि0-44/2015 ...576... रांची दिनांक- 24/03/15

प्रतिलिपि-अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक-1472 दिनांक-19.03.2015 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग,
झारखण्ड, राँची।

157

श्री रामचन्द्र सहिस, माननीय रा०वि०रा० द्वारा दिनांक 24.03.2015 को पूछे जाने वाले अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–59 का प्रश्नोत्तर

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि 29 मार्च 2012 में दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य को ईको सेंसेटिव क्षेत्र के रूप में भारत सरकार ने अधिसूचित किया है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि दलमा ईको सेंसेटिव क्षेत्र के दायरे में प्रभावित 85 राजस्व ग्राम एवं आंशिक रूप से प्रभावित 51 राजस्व ग्राम के ग्रामीणों को विस्थापित करने की योजना है;	अस्वीकारात्मक।
3. क्या यह बात सही है दलमा ईको सेंसेटिव क्षेत्र के अन्तर्गत प्रभावित एवं आंशिक रूप से प्रभावित (85+51=136) राजस्व ग्राम के ग्रामीणों का जीवन यापन तथा सर्वांगीण विकास के लिए कोई मास्टर प्लान तैयार नहीं किया है;	स्वीकारात्मक। ईको सेंसिटिव जोन में अवस्थित प्राकृतिक संपदा तथा ग्रामवासियों के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु जोनल मास्टर प्लान तैयार किया जाना प्रक्रियाधीन है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर के स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार प्रभावित एवं आंशिक रूप से प्रभावित ग्राम की आम जनता के हित में मास्टर प्लान तैयार करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	कंडिका-3 में वर्णित है।

झारखण्ड सरकार
वन एवं पर्यावरण विभाग

ज्ञापांक–5/विधानसभा अल्पसूचित–33/2015– 1538 व०प०, राँची, दिनांक– 23/3/2015

प्रतिलिपि अवर सचिव, झारखंड विधानसभा, रांची को उनके ज्ञाप सं0–1469 दिनांक–19.03.2015 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय (संसदीय कार्य) विभाग, झारखंड, रांची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखंड सरकार/मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

23/3/15

(अशोक कुमार ठाकुर)
सरकार के अवर सचिव

(188)

श्री योगेश्वर महतो, मा० स०वि०स० द्वारा चलते अधिवेशन में दिनांक 24.03.2015 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं–55 का उत्तर -

प्रश्नकर्ता	उत्तर दाता
श्री योगेश्वर महतो, माननीय सदस्य विधान सभा	श्री अमर कुमार बाउरी माननीय मंत्री कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि, बोकारो जिला के चन्द्रपुरा प्रखण्ड अंतर्गत दुग्दा फुटबॉल मैदान में स्टेडियम निर्माण हेतु आधारभूत संरचना यथा चहारदिवारी एवं पर्याप्त जमीन उपलब्ध है;	आंशिक स्वीकारात्मक है। 13.04.2012 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय लिया गया है कि राज्य के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में एक–एक स्टेडियम निर्माण किया जाना है। बेरमो विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत बेरमो प्रखण्ड में प्रखण्ड स्तरीय स्टेडियम निर्माण हेतु मार्च, 2015 में राशि आवंटित किया गया है।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त मैदान में स्टेडियम निर्माण से उक्त प्रखण्ड के युवाओं को खेल के क्षेत्र में अग्रोत्तर विकास करने, अभ्यास करने का उपयुक्त माहौल मिल सकेगा;	स्वीकारात्मक है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार दुग्दा फुटबॉल मैदान में स्टेडियम निर्माण का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	राजीव गांधी खेल अभियान के अंतर्गत Integrated Sports Complex के निर्माण हेतु उपयुक्त , बोकारो से प्रस्ताव की मांग की गई है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार
कला, संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक : 1/वि०रा० 8 - 20/2015/क 2108 / राँची, दिनांक 20/3/2015

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं० 1466 दिनांक 19.03.2015 के प्रसंग में 250 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20/3/15
सरकार के अवर सचिव
कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग
झारखण्ड, राँची।

श्री नारायण दास, स0वि0स0 द्वारा दिनांक-24.03.2015 को पूछा जाने वाला
अल्पसूचित प्रश्न संख्या-अ0सू0-52

क्र0	प्रश्न	उत्तर सामग्री
1.	क्या यह बात सही है कि मानव संसाधन विकास विभाग (माध्यमिक शिक्षा निदेशालय) के संकल्प संख्या-2020, दिनांक-24.10.2014 द्वारा राज्य के ग्रसीकृति प्राप्त 186 मदरसों एवं 12 संस्कृत विद्यालयों को गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालयों की भांति पेंशन की सुविधा प्रदान की गयी है ?	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि (1) बैद्यनाथ कमल कुमारी संस्कृत महाविद्यालय, देवघर (2) उप शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय, डाल्टेनगंज एवं संस्कृत हिन्दी विद्यापीठ, गिरिडीह को पेंशन योजना का लाभ तथा यू0जी0सी0 वेतनमान नहीं दिया गया है, जबकि इसमें सरकार को अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ता है ?	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।
3.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड (2) में वर्णित महाविद्यालयों को पेंशनादि योजना स्वीकृत करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	यू0जी0सी0 वेतनमान एवं सेवा शर्त्त सिर्फ अंगीभूत महाविद्यालयों एवं घाटानुदानित अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई करने वाले शिक्षकों को ही प्रदत्त है। प्रश्नगत महाविद्यालय सम्बद्ध महाविद्यालय है।

झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग।

ज्ञापांक 5/वि2-42/2015...565...../ रांची दिनांक-21/03/15.....

प्रतिलिपि:-अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक-1384 दिनांक-17.03.2015 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/3/15

संयुक्त सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग,
झारखण्ड, राँची।

(190)

श्री बिरंची नारायण, स0वि0स0 द्वारा दिनांक-24.03.2015 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या-अ0सू0-48

क्र0	प्रश्न	उत्तर सामग्री
1.	क्या यह बात सही है कि राँची विश्वविद्यालय के अन्तर्गत पत्रकारिता विभाग विगत 28 वर्षों से कार्यरत है, जहाँ पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक एवं स्नातकोत्तर की पढ़ाई की जाती है?	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि यू0जी0सी0 के नियमानुसार ऐसे विभाग के समुचित संचालन हेतु एक प्रोफेसर, दो रीडर एवं चार व्याख्याता की नियुक्ति अनिवार्य है?	उत्तर स्वीकारात्मक है।
3.	क्या यह बात सही है कि उक्त विभाग के निदेशक पद पर प्रायः ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति होती रही है, जिनके पास स्वयं पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर उपाधि नेट, पीएचडी इत्यादि नहीं होती है?	उत्तर स्वीकारात्मक है। विषय विशेषज्ञों की नियमित नियुक्ति नहीं होने के कारण विश्वविद्यालय द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है।
4.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार पत्रकारिता संकाय के लिए स्वीकृत पद पर समुचित संख्या में सुयोग्य व्यक्तियों की स्थायी नियुक्ति करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वित्तपोषित योजनान्तर्गत राँची विश्वविद्यालय में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के पढ़ाई की व्यवस्था के लिए विश्वविद्यालय सक्षम है।

झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग।

ज्ञापांक 5/वि2-39/2015 ...56... / राँची दिनांक- 21/03/15

प्रतिलिपि:-अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक-1296 दिनांक-16.03.2015 के प्रसंग में वर्णित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग,
झारखण्ड, राँची।

(191)

झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

श्रीमती गंगोत्री कुजूर, स.वि.स. से प्राप्त अल्प-सूचित प्रश्न संख्या-अ0सू0-38

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	डॉ0 नीरा यादव, माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य के सभी राजकीय प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में जो सरकार की ओर से मध्याह्न भोजन की व्यवस्था है, क्या प्रोटीन एवं वसायुक्त भोजन की व्यवस्था राज्य के सभी विद्यालयों में किया जाना है, उसमें पोषक तत्व सहित भोजन बच्चों को नियमित नहीं दिया जाता है।	आंशिक स्वीकारात्मक। मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत बच्चों को दोपहर में पका हुआ भोजन नियमित रूप में दिया जाता है। तथापि, यदा-कदा कतिपय कारणों से कुछ विद्यालयों में यह नियमित रूप से नहीं चल पाता है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य के सभी विद्यालयों में पोषकतत्व से भरपूर मध्याह्न भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित करना चाहेंगी, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	मध्याह्न भोजन को और अधिक पोषक बनाने के लिए बच्चों को भोजन के साथ सप्ताह में तीन दिन अंडा/फल देने की योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के अनुश्रवण हेतु राज्य सरकार द्वारा राज्य, जिला एवं प्रखण्ड स्तर पर अनुश्रवण की व्यवस्था की गई है। सभी विद्यालयों में बच्चों को नियमित रूप में मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार संकल्पित है।

सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक-.....596..... राँची, दिनांक- 27/3/15

प्रतिलिपि :- अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक 1209, दिनांक 15.03.2015 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

(192)

झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

श्री नारायण दास स.वि.स. से प्राप्त अल्प-सूचित प्रश्न संख्या-अ0सू0-53

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	डॉ0 नीरा यादव, माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, रांची में दायर वाद संख्या W.P.(S) 4647/2010 एवं अन्य समरूप वाद में दिनांक 16.04.13 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में उपायुक्त, देवघर द्वारा पारित आदेश संख्या 543, दिनांक 18.07.13 के आलोक में देवघर जिला के 54 पारा शिक्षकों का मूल अभ्यावेदन जाँचोपरान्त विद्यालय में पूर्व योगदान हेतु आदेश निर्गत किया गया था;	स्वीकारात्मक ।
2.	क्या यह बात सही है कि 54 पारा शिक्षकों द्वारा विद्यालय में शैक्षणिक कार्य किया जा रहा है तथा उनके मानदेय का भुगतान नहीं हो रहा है;	स्वीकारात्मक ।
3.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार 54 पारा शिक्षकों को अविलम्ब मानदेय का भुगतान करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	प्राथमिक शिक्षा निदेशक के पत्रांक-625, दिनांक 21.03.2015 द्वारा उपायुक्त, देवघर को निदेशित किया गया है कि वे व्यक्तिगत रूचि लेकर प्रमाण-पत्रों के सत्यापन का कार्य शीघ्रताशीघ्र पूरा करायें और इस बीच पारा शिक्षकों के मानदेय भुगतान हेतु नियमानुसार कार्रवाई करें।

सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक-.....6..... रांची, दिनांक- ...24...03...2015

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक 1473, दिनांक 19.03.2015 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

(193)

563
21/03/2015

श्री मनीष जायसवाल, भा०स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या -अ०सू०-51
क्या माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि विज्ञप्ति संख्या-93/2011 के आलोक में नवसृजित माध्यमिक विद्यालयों में सहायक शिक्षकों की कुल रिक्तियों की संख्या-2513 के संबंध में नियुक्ति हेतु आवेदन प्रपत्र की मांग झारखंड अधिविद्य परिषद् द्वारा की गई थी।	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 में वर्णित विज्ञापन के आलोक में कुल सफल अभ्यर्थियों की संख्या-1956 है।	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। झारखण्ड अधिविद्य परिषद् द्वारा प्रथम बार झारखंड अधिविद्य परिषद् के पत्रांक-198/14 दिनांक-24.10.2014 द्वारा कुल 1956 अभ्यर्थियों की अनुशंसा प्राप्त हुई थी। झारखंड अधिविद्य परिषद् द्वारा भेजी गई उक्त अनुशंसा को त्रुटिपूर्ण पाये जाने के कारण मानव संसाधन विकास विभाग के पत्रांक-933 दिनांक-29.12.2014 द्वारा वापस कर दिया गया है।
3	क्या यह बात सही है कि खण्ड-2 में वर्णित अभ्यर्थियों को अब तक नियुक्ति पत्र नहीं दी गयी है।	इस खण्ड का उत्तर खंड में सन्निहित है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड (2) में वर्णित अभ्यर्थियों को एक माह के अन्दर नियुक्ति पत्र देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	झारखंड अधिविद्य परिषद् के पत्रांक-100/15 दिनांक-16.03.2015 द्वारा संशोधित 1859 अभ्यर्थियों की मेधा सूची उपलब्ध करायी गयी है। प्राप्त करायी गयी 1859 मेधा सूची की जांच करते हुए प्रावधानों के आलोक में निर्धारित अर्हता को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जा सकेगी।

सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखंड-सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक-7/स.1वि.(1)-66/2015 563 / दिनांक 21/03/2015 /

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री शिव शंकर उराँव, म0वि0स0 द्वारा दिनांक-24.03.2015 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या-अ0सू0-46

(194)

क्र0	प्रश्न	उत्तर सामग्री
1.	क्या यह बात सही है कि राँची विश्वविद्यालय अन्तर्गत वर्ष 1981ई0 से जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग चल रहा है?	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त विभाग में कुड़ुख, संथाली, मुण्डारी, हो और खड़िया कुल पांच जनजातीय भाषाएँ तथा नागपुरिया, ओरव, कुरमाली एवं पंचपरगनिया कुल चार क्षेत्रीय भाषाएँ पढ़ायी जाती हैं और इन में से कुड़ुख भाषा द्रविड़ भाषा समूह, संथाली, मुण्डारी, हो एवं खड़िया भाषाएँ अग्नेय भाषा समूह की तथा नागपुरिया, ओरव, कुरमाली तथा पंचपरगनिया आर्य भाषा समूह की श्रेणी में आते हैं?	उत्तर स्वीकारात्मक है।
3.	क्या यह बात सही है कि विगत लम्बे समय से द्रविड़ भाषा परिवार की एकमात्र भाषा कुड़ुख भाषा का पृथक स्वतंत्र विभाग बनाये जाने की मांग विश्वविद्यालय में उठती रही है और इस निमित्त हाई पावर सिनेट कमेटी का भी गठन हुआ था?	उत्तर स्वीकारात्मक है।
4.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार कुड़ुख भाषा का स्वतंत्र एवं पृथक विभाग बनाकर संचालित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	विश्वविद्यालय से विधिवत् प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार निर्णय लिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग।

ज्ञापांक 5/वि2-40/2015 566 / राँची दिनांक- 21/03/15 /

प्रतिलिपिः-अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक-1322 दिनांक-16.03.2015 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/3/15

संयुक्त सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग,
झारखण्ड, राँची।

श्री प्रो0 स्टीफन मरण्डी, स0वि0स0 द्वारा दिनांक-24.03.2015 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या-अ0सू0-61

क्र0	प्रश्न	उत्तर सामग्री
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य में अवस्थित स्नातक स्तरीय घाटाबुदानित अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को पेंशन, ग्रेच्युटी एवं भविष्य निधि की सुविधा स्वीकृत करने के संबंध में राज्य सरकार के ज्ञापांक-5/वि1 59/2004-1470 दिनांक 19.12.2010 द्वारा संकल्प जारी किया गया था?	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय संकल्प संख्या 5/वि1-58/2004-1470 दिनांक 19.12.2012 द्वारा उक्त सुविधा उपलब्ध करायी गई है। संकल्प द्वारा प्रावधानित लाभ उपलब्ध कराने हेतु विश्वविद्यालय के लिए परिनियम का गठन आवश्यक है। परिनियम का गठन प्रक्रियाधीन है।
2.	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त जारी संकल्प का अनुपालन राँची विश्वविद्यालय सहित राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों में अब तक नहीं होने के कारण अभावग्रस्त कर्मियों की मृत्यु भी हो चुकी है?	ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर के स्वीकारात्मक हैं तो सरकार कब तक उक्त संकल्प का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	संकल्प ज्ञापांक 1470 दिनांक 19.12.12 द्वारा प्रावधानित लाभ उपलब्ध कराने हेतु विश्वविद्यालय के लिए परिनियम का गठन आवश्यक है। परिनियम का गठन प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग।

ज्ञापांक 5/वि2-45/2015.....529..../ राँची दिनांक-24/03/15...../

प्रतिलिपि:-अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को, उनके ज्ञापांक-1474 दिनांक-19.03.2015 के प्रसंग में अंकित प्रश्नों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/3/15

संयुक्त सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग,
झारखण्ड, राँची।

(196)

श्री आलमगीर आलम, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 24.03.2015 को पूछे जाने वाले अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–41 का प्रश्नोत्तर

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि दुमका जिला अन्तर्गत पड़ने वाले वन क्षेत्र में 1138 वर्ग कि०मी० की कमी हुई है, जिससे वन्य प्राणियों के संरक्षण को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है;	अस्वीकारात्मक। भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान, देहरादून द्वारा प्रकाशित India State Forest Report के अनुसार दुमका जिला में वर्ष 2009 तथा 2011 में कुल 637 वर्ग किलोमीटर तथा वर्ष 2013 में कुल 883 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र दर्शाया गया है।
2. यदि उपरोक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार दुमका में वनों के कटाव को रोकने एवं वन क्षेत्र को सघन बनाने के लिए विकसित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	प्रश्न ही नहीं उठता है। सरकार के स्तर से वनों के विकास उन्नति एवं सुरक्षा हेतु विभिन्न योजनाऐं संचालित की जा रही है । जैसे:– भूसंरक्षण सह वनरोपण, अवकृष्ट वनों का पुनर्वास, सड़क किनारे वृक्षारोपण, वन–संवर्धन कार्य, चेकडैम इत्यादि ।

झारखण्ड सरकार
वन एवं पर्यावरण विभाग

ज्ञापांक–5/विधानसभा अल्पसूचित–27/2015–1501 व०प०, राँची, दिनांक– 20/3/2015

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखंड विधानसभा, रांची को उनके ज्ञाप सं0–1208 दिनांक–15.03.2015 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय (संसदीय कार्य) विभाग, झारखंड, रांची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखंड सरकार/मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

20/3/15
(सुनील कुमार)
सरकार के उप सचिव

(197)

869
21/03/2015

श्री विकास कुमार मुण्डा, मा०स०वि०स० से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या -अ०सू०-58
क्या माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य के पांचो विश्वविद्यालयों के सभी अंगीभूत महाविद्यालयों में वर्ष 2000 से इंटर संभाग को महाविद्यालय से अलग किया गया है।	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। +2 शिक्षा की पढ़ाई हेतु अलग से व्यवस्था की जानी है। परन्तु अभी भी अंगीभूत महाविद्यालयों के नाम से ही छात्र-छात्रायें झारखण्ड अधिविद्य परिषद् द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट की परीक्षा सम्मिलित होते हैं।
2	क्या यह बात सही है कि जैक के निदेशानुसार इन्टर की कक्षा लेने वाले शिक्षकों की प्रति कक्षा 100/- रू0 के दर से प्रतिमाह अधिकतम 4000/- रू0 ही देना सुनिश्चित किया गया है।	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। परिषद् द्वारा महाविद्यालय के प्राचार्य के अनुरोध पर कतिपय दिशानिर्देश निर्धारित किये गये हैं, जिसमें गेस्ट शिक्षक को रूपया 100/- प्रतिदिन अधिकतम् रूपया 3000/- मासिक मानदेय झारखण्ड अधिविद्य परिषद् द्वारा निर्धारित किया गया है। परन्तु राज्य सरकार द्वारा इस तरह की कोई कार्रवाई करने का निदेश नहीं है।
3	क्या यह बात सही है कि वित्त रहित अनुदान इंटर महाविद्यालय के शिक्षकों को प्रतिमाह 20,000/- रू0 मानदेय के रूप में दी जाती है।	उत्तर अस्वीकारात्मक है। राज्य सरकार द्वारा इस तरह का कोई अनुदान नहीं दिया जाता है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य के सभी अंगीभूत महाविद्यालयों के इंटर के शिक्षकों का मानदेय वित्त रहित अनुदान के इंटर महाविद्यालयों के शिक्षकों के बराबर 20,000/-रू0 करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नही तो क्यो ?	झारखण्ड राज्य वित्त रहित शैक्षणिक संस्थान (अनुदान) अधिनियम, 2004 तथा नियमावली, 2004 के तहत् प्रस्वीकृति प्राप्त संस्थानों को अनुदान देने का प्रावधान है। किसी भी अंगीभूत महाविद्यालय के इण्टरमीडिएट प्रभाग को अलग से राज्य सरकार द्वारा प्रस्वीकृति प्रदान नहीं की गयी है। अतः बिना प्रस्वीकृति के अनुदान नहीं दिया जा सकता है। मानदेय हेतु अधिनियम, 2004 में अलग से प्रावधान नहीं है। इस तरह मानदेय देने संबंधी कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

20/3/15
सरकार के अवर सचिव

झारखंड-सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक-7/स.।वि.(।)-68/2015.....569...../ दिनांक 21/03/2015

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/3/15

सरकार के अवर सचिव

(198)

श्रीमती सीता सोरेन स0वि0स0 से प्राप्त अल्प–सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–47

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:– माननीय मंत्री–

क0 सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि, जिला खनन कार्यालय, दुमका के द्वारा 27.02.2012 के बाद किसी भी खनन पट्टा का नवीकरण नहीं किया गया है। इसके बावजूद वर्तमान में दुमका जिला में लगभग 250 स्टोन क्रशर बिना लाईसेंस के चल रहें हैं, दुमका–रामपुर हाट पथ पर के क्रशरों के कारण यहाँ का वायुमंडल पत्थर के धूलकण से भरा रहता है और शिकारीपाड़ा थानान्तर्गत मौजा- चिरुडीह, मकड़ा पहाड़ी, सरस डंगाल, हरिपुर, पिंडरगडया, लोड़ीपहाड़ी, कालापाथर आदि ग्रामों में ग्रामीण टी0वी0 दमा और फेफड़ो की अन्य बिमारियों का शिकार होकर हर वर्ष बड़ी संख्या में मृत्यु के गाल में समा रहे हैं।	उपरयुक्त, दुमका के पत्रांक–588, दिनांक–20.03.2015 द्वारा प्रतिवेदित है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुकदमा संख्या एस0एल0पी (सिविल) संख्या–19628 19629/2009 में पारित आदेश दिनांक–27.02.2012 के बाद किसी खनन पट्टा का नवीकरण नहीं किया गया हैं। वर्तमान मे दुमका जिला में कुल 133 पत्थर खनन पट्टे हैं जिससे उत्पादित पत्थर से जिला के निबंधित कुल 201 क्रशर का संचालन हो रहा है। जिलान्तर्गत अब तक 39 बिना निबंधन के चल रहे क्रशरों को सीज कर दिया गया हैं। यह सही है कि क्रशर संचालकों द्वारा पर्यावरण सुरक्षा के लिए किये जा रहे जल छिड़काव के बावजूद भी दुमका–रामपुर हाट पथ पर धूलकण उड़ते हैं। शिकारीपाड़ा थानान्तर्गत मौजा–चिरुडीह, मकड़ा पहाड़ी, सरस डंगाल, हरिपुर, पिंडरगडया, लोड़ीपहाड़ी, कालापाथर आदि ग्रामों में ग्रामीण टी0 वी0 दमा और फेफड़ों की अन्य बिमारियों का शिकार होकर मरने वालों की कोई सूचना नहीं है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बिना लाईसेंस चल रहे हैं इन क्रशरों को बन्द कराने तथा उक्त वर्णित मामलों की उच्च स्तरीय जाँच कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों।	उपायुक्त दुमका से प्रतिवेदित है कि बिना लाईसेंस/निबंधन के क्रशर का संचालन बन्द कराने हेतु उपायुक्त दुमका द्वारा सघन अभियान चलाया जा रहा है। उनके द्वारा अभी तक 39 क्रशरों का सील किया गया है। किसी भी स्थिति में बिना लाईसेंस/निबंधन का क्रशर संचालन नहीं होने दिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक वि0स0(अ0सू0)18/15 440 /एम0, राँची दिनांक 22-3-15

प्रतिलिपि:– 250 प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञाप संख्या 1500 दिनांक 16.03.2015 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22.3.15

सरकार के अवर सचिव।

श्रीमती विमला प्रधान, स०वि०स० से प्राप्त अल्प–सूचित प्रश्न, सं०–अ०सू०–42

क्या मंत्री, खनन एवं भूतत्व विभाग,

यह बताने की कृपा करेंगे कि:– माननीय मंत्री:

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि, सिमडेगा जिला का बासंजोर प्रखंड उड़ीसा राज्य के बॉर्डर से लगा हुआ है एवं बासंजोर के पहाड़ीटोली, जामडोईल, अदरकुम्बा, डोंगापानी, खरडेगा, लोमाटोली में अवैध खनन एवं क्रशर मशीन लगे है।	उपायुक्त, सिमडेगा के पत्रांक–173, दिनांक–19.03.2015 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि पहाड़टोली, जामडोईल, अदरकुम्बा, डोंगापानी आदि स्थानों पर इन भूमि से पत्थर का अवैध खनन कार्य किया गया है। खनन किए गए गड्ढों का मापी किया गया जो निम्न है:– **जामडोईल** ल० x चौ० x गo (1)–60'X30'x 12' **पहाड़टोली** ल० x चौ० x गo (1)–50'x 20'x 8' (2)–10'x 10'x 3' (3)–60'x 10'x 9 (4)–20'x 12'x 6 **अदरकुम्बा** ल० x चौ० x गo (1)–20'X10'x 5' (2)–23'x18'x 7' (3)–18'x 7'x 3' **डोंगापानी** ल० x चौ० x गo (1)–33'X 19'x 9' (2)–70'X22'x7' –उक्त स्थानों पर खनिज भण्डारण स्थल नहीं है एवं क्रशर स्थापित नहीं है। –दिनांक–18.03.2015 को उक्त क्षेत्रों के तरफ से आ रहे पत्थर लदे तीन डम्परों का जाँच किया गया एवं बासंजोर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
2.	क्या यह बात सही है कि पुलिस प्रशासन एवं खनन विभाग के पदाधिकारियों की मिलीभगत से पत्थर एवं चिप्स उड़ीसा जा रहे है और सिमडेगा जिला को विकास कार्य के लिए चिप्स नहीं मिल पा रहा है।	उत्तर अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति कंडिका–(1) में स्पष्ट कर दी गयी है।
3.	क्या यह बात सही है कि हेवी ब्लास्टिंग से पर्यावरण दूषित एवं पेयजल स्तर भी काफी नीचे चला गया है एवं शुद्ध पीने का पानी का अभाव दिनों दिन बढ़ता जा रहा है।	यह प्रदूषण नियंत्रण पर्षद तथा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से संबंधित है।

कृपया पृष्ठ उल्टें।

8	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार, अवैध खनन को रोकने एवं दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों	अवैध खनन को रोकथाम हेतु हर जिले में उपायुक्त की अध्यक्षता में टास्क फोर्स गठित है जिसके द्वारा कार्रवाई की जाती है। इसी तरह राज्य स्तर की अवैध खनन की रोकथाम हेतु टास्क फोर्स का गठन किया गया है।

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञा०सं० विस(अ०सू०)16/15 441 /एन०, राँची दिनांक 2.2.2015

प्रतिलिपि— 250 प्रतियों के संग अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक संख्या 1207 दिनांक 5.03.2015 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

(200)

डॉ0 अनिल मुरमू, स0वि0स0 द्वारा दिनांक-24.03.2015 को पूछा जाने वाला
अल्पसूचित प्रश्न संख्या-अ0सू0-50

क्र0	प्रश्न	उत्तर सामग्री
1.	क्या यह बात सही है कि पाकुड़ जिला के प्रखण्ड लिट्टीपाड़ा, हिरणपुर एवं आमड़ा पाड़ा तथा दुमका जिला का गोपीकांदर अनुसूचित जनजाति (संताल पहाड़िया) बहुल क्षेत्र है तथा भारत सरकार के सामाजिक एवं आर्थिक उत्कर्षण 2011 के तहत् देश का सबसे पिछड़ा प्रखंड लिट्टीपाड़ा को घोषित किया है?	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त चारों प्रखंड में एक भी इंटर महाविद्यालय डिग्री महाविद्यालय नहीं बनने से छात्र-छात्राओं को बाहर जाकर शिक्षक-ग्रहण करना पड़ता है, जो सभी गरीब छात्रों के लिए संभव नहीं है?	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है: प्रश्नाधीन पाकुड़ जिलान्तर्गत तीन प्रखण्डों यथा लिट्टीपाड़ा हिरणपुर एवं आमड़ा पाड़ा तथा दुमका जिलान्तर्गत गोपीकांदर प्रखण्ड में +2 विद्यालयों की सुविधा उपलब्ध है जहां पर छात्र-छात्रा शिक्षा ग्रहण करते हैं। प्रश्नाधीन प्रखण्डों में डिग्री महाविद्यालय नहीं है।
3.	यदि उपरोक्त प्रखण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार उक्त प्रखंड में इंटर महाविद्यालय/डिग्री महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	पाकुड़ जिलान्तर्गत एक अंगीभूत महाविद्यालय एवं दुमका जिलान्तर्गत दो अंगीभूत एवं 03 संबद्धता प्राप्त महाविद्यालयों में स्नातक स्तर की पढ़ाई की व्यवस्था है। प्रत्येक जिला में महाविद्यालय की सुविधा उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा रही है। जिलों में महाविद्यालय की सुविधा उपलब्ध कराने के पश्चात् अनुमंडल एवं प्रमंडल स्तर पर राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत् महाविद्यालय उपलब्ध कराने हेतु समुचित निर्णय लिया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग।

ज्ञापांक 5/वि2-37/2015 ...571..... / रांची दिनांक- 21/03/15 ...../

प्रतिलिपि-अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक-1295 दिनांक-16.03.2015 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/3/15

संयुक्त सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग,
झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

डॉ0 अनिल मुरमू, स.वि.स. से प्राप्त अल्प-सूचित प्रश्न संख्या अ.सू.-45

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	डॉ0 नीरा यादव, माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि संताल परगना प्रमंडल अंतर्गत शिक्षा विभाग के मृत सरकारी सेवकों के पाल्यों को अनुकम्पा के आधार पर वर्ग-3 (लिपिक) के पद पर नियुक्ति का प्रावधान है;	आंशिक स्वीकारात्मक। मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को वर्ग-3 के अतिरिक्त वर्ग-4 के पदों पर भी अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की जा सकती है। शिक्षा विभाग के कर्मियों के मामले में अनुकम्पा के आधार पर आश्रित की नियुक्ति प्राथमिक विद्यालय में इण्टरमीडिएट प्रशिक्षित शिक्षक के पद पर भी दी जा सकती है, बशर्ते कि वे शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए निर्धारित योग्यता रखते हों।
2.	क्या यह बात सही है कि संताल परगना प्रमंडल अंतर्गत क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक, दुमका के पत्रांक-56, दिनांक 08.08.2014 के अनुसार शिक्षा विभाग में वर्ग-3 (लिपिक) का कोई पद रिक्त नहीं है;	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि शिक्षा विभाग में वर्ग-3 (लिपिक) का पद रिक्त नहीं रहने के कारण कई मृत सरकारी सेवकों के पाल्यों की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति नहीं हो पा रही है;	स्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार संथाल परगना प्रमंडल अंतर्गत शिक्षा विभाग में वर्ग-3 (लिपिक) के पद	शिक्षा विभाग के लिपिकों के संवर्ग प्रमण्डल स्तरीय है एवं क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक इनके नियुक्ति पदाधिकारी है। तद्नुसार, जिला अनुकम्पा समिति

	पर चयनित उम्मीदवारों को नियुक्त करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	के अनुशंसा के आलोक में ऐसे मामले जो शिक्षा विभाग में लिपिक के पद पर नियुक्ति से संबंधित रहते हैं, उन्हें संबंधित क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक को भेज दिया जाता है। क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक, संताल परगना प्रमंडल के द्वारा सूचित किया गया है कि जिला अनुकम्पा समिति द्वारा शिक्षा विभाग में लिपिक के पद पर अनुशंसित उम्मीदवारों की नियुक्ति हेतु संबंधित सरकारी सेवक के मृत्यु तिथि को आधार मानते हुए वरीयता सूची का निर्माण किया गया है। सरकारी सेवकों की सेवानिवृत्ति/मृत्यु के फलस्वरूप रिक्त होने वाले पदों पर इस सूची से वरीयता क्रम में नियुक्ति की जायेगी।

21/3/15

सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक- 599 / राँची, दिनांक- 21/3/15

प्रतिलिपि :- अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक 1210, दिनांक 15.03.2015 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/3/15

सरकार के संयुक्त सचिव।

(202)

श्री रामचन्द्र सहिस, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 24.03.2015 को पूछे जाने वाले अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू0–60 का प्रश्नोत्तर

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत बोड़ाम प्रखण्ड स्थित "डिमना बाँध" दलमा ईको सेंसेटिव क्षेत्र के अन्तर्गत आता है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि टाटा स्टील लिमिटेड दलमा ईको सेंसेटिव क्षेत्र के विभिन्न प्राकृतिक, झरना का जल एवं वर्षों का जल "डिमना बाँध" में संचयन कर व्यवसाय करता है, जो भारत सरकार के अधिसूचना के खिलाफ है;	अस्वीकारात्मक। वस्तुतः दलमा वन्य प्राणी आश्रयणी और इसके इको सेन्सिटिव जोन के बहुत बड़े भू–भाग से बरसात एवं प्राकृतिक जलस्रोतों का बहाव Natural surface run off के रूप में डिमना लेक में जाता है।
3. क्या यह बात सही है कि 29 मार्च 2012 के अधिसूचना (भारत सरकार) के अनुसार दलमा ईको सेंसेटिव क्षेत्र से खनिज सम्पदा एवं जल सम्पदा का दोहन कर व्यवसाय नहीं किया जा सकता है;	अस्वीकारात्मक। दलमा वन्य प्राणी आश्रयणी के इको सेन्सिटिव जोन से संबंधित अधिसूचना संख्या का0आ0 680(अ0) दिनांक–29.03.2012 में बरसात के पानी के प्राकृतिक सतही बहाव के regulation का प्रावधान नहीं है। इसमें मात्र भू–जल के औद्योगिक/वाणिज्यिक उपयोग (निष्कासन/विदोहन) हेतु इको सेन्सिटिव जोन के निगरानी समिति एवं राज्य ग्राउण्ड वाटर बोर्ड की लिखित पूर्वानुमति अनिवार्य है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर के स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार वन विभाग द्वारा टाटा स्टील लिमिटेड के खिलाफ कार्रवाई करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कण्डिकाओं के उत्तर के आलोक में इसका प्रश्न ही नहीं उठता है।

झारखण्ड सरकार
वन एवं पर्यावरण विभाग

ज्ञापांक–5/विधानसभा अल्पसूचित–34/2015–1539 व०प०, राँची, दिनांक–23/3/2015

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखंड विधानसभा, रांची को उनके ज्ञाप सं0–1468 दिनांक–19.03.2015 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय (संसदीय कार्य) विभाग, झारखंड, रांची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखंड सरकार/मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/3/15
(अशोक कुमार ठाकुर)
सरकार के अवर सचिव

(203)

श्री मनीष जायसवाल, मा० स०वि०स० द्वारा चलते अधिवेशन में दिनांक 24.03.2015 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं०– 49 का उत्तर–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तर दाता
श्री मनीष जायसवाल, माननीय सदस्य विधान सभा	श्री अमर कुमार बौरी माननीय मंत्री कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग विधान सभा क्षेत्र में अवस्थित स्टेडियम के आवासीय परिसर में इन दिनों कई सरकारी कार्यालयों जैसे– नेहरू युवा केन्द्र, बाल श्रमिक शिक्षा, शिक्षा परियोजना, सैनिक कल्याण इत्यादि के अतिरिक्त कई अन्य कार्यालयों का संचालन होने के कारण इन स्टेडियम सरकारी कार्यक्रमों का आयोजन स्थल बन गया है, जिससे वातावरण स्टेडियम का अस्तित्व समाप्त होने को है;	आंशिक स्वीकारात्मक है। स्टेडियम के आवासीय परिसर के प्रथम एवं द्वितीय तल्ले में कालिका फुटबॉल प्रशिक्षण केन्द्र के खेल प्रशिक्षणार्थियों का आवासीय एवं प्रशिक्षण केन्द्र संचालित हो रहा है। खेल प्रशिक्षणार्थियों द्वारा परिसर में अवस्थित मैदान का उपयोग करने के साथ–साथ खेल प्रशिक्षण प्राप्त किया जा रहा है साथ ही स्टेडियम परिसर में अवस्थित मैदान में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। उपाबद्ध, हजारीबाग के उत्तर प्रतिवेदन के अनुसार नेहरू युवा केन्द्र, एनएसीएलपीए, शिक्षा परियोजना का अपना निजी भवन के अभाव में जनहित/कार्यहित में तत्काल करजन ग्राम, हजारीबाग स्टेडियम में अवस्थित ग्राउण्ड फ्लोर में नेहरू युवा केन्द्र, एनएसीएलपीए, शिक्षा परियोजना का कार्यालय संचालित हो रहा है
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित स्टेडियम में सरकारी कार्यों का संचालन होने से उक्त क्षेत्र के कई युवा खेल प्रतिभागियों को खेल से वंचित होना पड़ रहा है;	अस्वीकारात्मक है। उपाबद्ध, हजारीबाग के प्रतिवेदन के अनुसार सरकारी कार्यालय के संचालन से किसी भी प्रकार से युवा खेल प्रतिभागियों को खेल से वंचित नहीं होना पड़ता है।
3	क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा राज्य के प्रत्येक जिला मुख्यालय में स्टेडियम निर्माण/जीर्णोद्धार का निर्णय लिया गया है;	राजीव गाँधी खेल अभियान के अंतर्गत Integrated Sports Complex के निर्माण हेतु सभी जिलों के उपायुक्तों से प्रस्ताव की मांग की गई है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जनहित में खण्ड-1 में वर्णित स्टेडियम को सरकारी कार्यालयों से मुक्त कराते हुए उक्त स्टेडियम का पुनः जीर्णोद्धार कर खेल प्रतिभाओं को खेलने देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	आंशिक स्वीकारात्मक है। उपाबद्ध, हजारीबाग के प्रतिवेदन के अनुसार सरकारी कार्यालयों का निजी भवन/ अन्य सरकारी भवन प्राप्त होते ही खेल छात्रावास से संबंधित कार्यालयों को छात्रावास से मुक्त करा दिया जायगा।

झारखण्ड सरकार

कला, संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक : 1/वि०स० 3– 19/2015/क 2998 ... / राँची, दिनांक 20/03/2015

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं० 1301 दिनांक 16.03.2015 के प्रसंग में 250 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20/3/2015

सरकार के अवर सचिव
कला, संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग
झारखण्ड, राँची।